Credible Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, लॉर्थ ब्लॉक सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
Ph.No.-0771-2512141, Email Id:-aocsbajwa@yahoo.in, Website:-www.cghb.gov.in

!! आदेश !!

क्रमांक.....10...../2019
दिनांक 25/07/2019

विषयः- मण्डल की आवासीय योजनाओं में पंजीयन निरस्तीकरण में कटौती राशि छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम 2017 अनुसार पुनरीक्षित करने बाबत्।

--- 000 ---

मण्डल की अनेक योजनाओं में आवेदकों द्वारा पंजीयन कराने के पश्चात् बड़ी संख्या में निरस्तीकरण हेतु आवेदन दिए जाते है। इससे अनावश्यक वित्तीय असंतुलन एवं लेखा कार्य में भी कठिनाईयाँ उत्पन्न होती है तथा पंजीयन/आबंटन निरस्तीकरण से भवन रिक्त हो जाता है एवं भवन निर्माण कार्य में लग चुकी राशि अवरूद्ध हो जाती है जिससे मण्डल को वित्तीय हानि होती है। पंजीयन-निरस्तीकरण एवं राशि वापसी की प्रक्रिया को निरूत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम 2017 के नियमों को दृष्टिगत रखते हुए मण्डल की समस्त योजनाओं में हितग्राही द्वारा पंजीयन/आबंटन निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर जमा पंजीयन राशि तथा किश्त की राशि में कटौती को युक्तिसंगत किया जाना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 59वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 08.07.2019 के एजेण्डा कमांक 24 पर पारित संकल्प कमांक 1747/24/59/07/2019 में संचालक मंडल द्वारा दीर्घ विचार-विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मण्डल की समस्त योजनाओं में दिनांक 15.07.2019 से प्राप्त पंजीयन में यदि हितग्राही पजीयन/आबंटन निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो, मण्डल द्वारा पंजीयन राशि की 50 प्रतिशत जमा राशि राजसात/जब्त कर आबंटिती द्वारा जमा की गई शेष राशि बिना ब्याज के (किश्त की संपूर्ण जमा राशि तथा पंजीयन राशि का 50 प्रतिशत) निरसन से 45 दिनों के भीतर लौटाई जावे। मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन कर अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया गया।

(आदेशानुसार)

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नवा रायपुर

Credible Chhattisgarh

पृ.क्र. 1272 /स.प्र.शा./मु.सं.अ./मुख्या/फा.नं.- /19 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25/07/2019

प्रतिलिपिः-

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.)।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदया, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.)।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.)।
4. अपर आयुक्त,(जे/व्ही/पी) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.)।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.)।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.)।
7. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/वृत्त-नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर।
8. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.)।
9. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय शंकर नगर रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-01,02,03,04 रायपुर/राज. परि.संभाग-1,2,रायपुर/संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़/धमतरी/कवर्धा/महासमुन्द/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/विद्युत संभाग 01 नया रायपुर/विद्युत संभाग 02 रायपुर/विद्युत संभाग-03 बिलासपुर।
11. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03,04,05 रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा /बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर छ.ग.।
13. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

(आदेशानुसार)

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नवा रायपुर
अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.)